कार्यालय मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र,
लोक निर्माण विभाग गोरखपुर

पत्रांक 6642/132 पे0प0–गो0क्षे0/2020–21 दिनांकः– 16.9.20

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
देवरिया वृत्त, लो.नि.वि.
देवरिया

विषय– जनपद देवरिया में निर्माण खण्ड,लो.नि.वि. के अन्तर्गत देवरिया कसया मार्ग (राज्य मार्ग सं0–79) के किमी0–11.00 (चैनेज–100) दायीं तरफ ग्राम–सिरसिया तहसील व जिला देवरिया के गाटा सं0–418 पर श्रीमती सारिका सिंह पत्नी श्री अवधेश कुमार सिंह के नाम से भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, न्यू रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक–979/3यात–दे0वृत्त/2020 दिनांक 11.09.2020

:–:–:–

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद देवरिया में निर्माण खण्ड,लो.नि.वि. के अन्तर्गत देवरिया कसया मार्ग (राज्य मार्ग सं0–79) के किमी0–11.00 (चैनेज–100) दायीं तरफ ग्राम–सिरसिया तहसील व जिला देवरिया के गाटा सं0–418 पर श्रीमती सारिका सिंह पत्नी श्री अवधेश कुमार सिंह के नाम से भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, न्यू रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।

1. पेट्रोल पम्प का निर्माण प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के शा0सं0–1882/23–12–19–1365/17 टी.सी. लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक 04.12.2019 द्वारा जारी **"The Uttar Pradesh Guidlines for issuing of NOC for setting up fuel station along UPPWD Roads-2019"** में दिए गए निर्देशों एवं चेकलिस्ट की शर्तो के अनुसार किया जायेगा।
2. प्रस्तावित स्थल के दोनों ओर 300 मीटर तक कोई रोड क्रासिंग नहीं होनी चाहिये।
3. आई.आर.सी.–12, 2009 के अनुसार मार्ग पर 300 मी0 की दूरी तक कोई अन्य रिटेल आउटलेट स्थापित नही होना चाहिये।
4. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर होगा तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाय। प्रस्तावित निर्माण में बफर स्ट्रिप मार्ग की मध्य रेखा से 22.87 मीटर छोड़कर होनी चाहिए। लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।
5. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के प्रवेश एवं निकास पर सड़क पर यातायात की विजिविलिटी होनी चाहिये, इसमें कोई अवरोध न हों। अन्य कोई आवश्यक बिन्दु जो स्थलीय परिस्थितियों तथा यातायात की सुरक्षा के लिये आवश्यक हो, प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के वास्तविक निर्माण के पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाय।
6. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का लाइसेन्स डीड संबंधित अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 एवं पार्टी द्वारा एक्जीक्यूट करा लिया जाय।
8. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाय। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
9. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर बफर स्ट्रिप पर ऐसा कोई साईन बोर्ड या होर्डिंग न लगाया जाय, जिसमें भूमि तल से 3.00 मीटर का क्लीयरेन्स न हों।
10. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्गों पर निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईड खन्ती में न्यूनतम 1.00 मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराया जाय, ताकि पानी सुविधापूर्वक रोड साईड ड्रेन से होकर प्राकृतिक नाली/नाले में बह सके।

Vikas Kumar Srivastava
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
10/2/21
Constituted Attorney

E:\ Petrolpamp 2019-20 Ce Office Gkp Zone dt 19.12.2019 New Shashnadesh

11. .प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग की ढ़ाल रिटेल आउटलेट की ओर न्यूनतम 2 प्रतिशत होगा तथा पुलिया आई.आर.सी. एस. पी.–13, 1983 के अनुसार निर्मित की जायेगी। रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग का रख–रखाव कम्पनी द्वारा स्वयं के व्यय पर वहन किया जाएगा, परन्तु इसका स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा।

12. .प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पेव्ड एरिया का लेविल सड़क के पेन्टेड सतह के मध्य बिन्दु के लेबिल से कम से कम 0.30 मी0 नीचे रखा जायेगा।

13. .टर्निंग कर्व रेडियस 13.00 मीटर रखा जाय एवं रेडियस ऑफ नान टर्निंग कर्व 1.50 मीटर से 3.00 मीटर के बीच रखा जाय।

14. .प्रस्तावित निर्माण कार्य एक वर्ष के अन्दर न होने पर एक वर्ष के बाद पुनः अनुमति लेनी पड़ेगी।

15. .जब भी मार्ग के चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो चौड़ीकरण हेतु भूमि उपलब्ध करानी होगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर निर्माण हटाना होगा।

16. .मार्ग पर किसी प्रकार का स्पीड ब्रेकर न बनाया जाय, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो।

17. .पेट्रोलियम उत्पाद के अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के अधिनियमों एवं अर्हताओं की जानकारी कर जान–माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसका उत्तरदायित्व पम्प मालिक का होगा।

उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा और इसके लिए विभाग के विरूद्ध किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा।

(एस0पी0सिंह)
मुख्य अभियन्ता
गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0,
गोरखपुर

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लो.नि.वि.,देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16/9/2
मुख्य अभियन्ता
गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0,
गोरखपुर
16/9/2

Vikaskumar Srivastava
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
10/2/21
Constituted Attorney

E:\ Petrolpamp 2019-20 Ce Officr Gkp Zone dt 19.12.2019 New Shashnadesh

जनपद देवरिया में निर्माण खण्ड लो०नि०वि० देवरिया के अन्तर्गत ग्राम - सिरसिया तथा परगना शाहजहाँपुर जिला देवरिया में स्थित गाटा सं०-418 पर ... सारिका सिंह पत्नी अवधेश कुमार सिंह के नाम से देवरिया से कसया मार्ग (राज्यमार्ग ...) ... चैनेज (100) के दायें तरफ रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है।

1. पेट्रोल पम्प का निर्माण प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन ... 1812/23-12-19/1305/... लो०नि०वि० अनुभाग-2 लखनऊ दि० 4-12-2019 द्वारा जारी "The Uttar Pradesh Guideline for Issuing of NOC for Setting up fuel station along UPPWD Roads 2019" में दिये गये निर्देशों के एवं ... के अनुसार किया जायेगा।
2. प्रस्तावित स्थल के दोनों ओर ... कोई रोड जंक्शन नहीं होना चाहिए।
3. IRC-12-2009 के अनुसार मार्गों पर 300 मीटर की दूरी तक कोई अन्य रिटेल आउटलेट नहीं होना चाहिए।
4. प्रस्तावित आउटलेट निर्माण मार्ग के मध्य से बफर स्ट्रीप तक की दूरी 75 फीट छोड़कर होनी चाहिए।
5. प्रस्तावित आउटलेट निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर होगा तथा निर्माण सामग्री मार्ग सीमा में न रखी जाये।
6. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट निर्माण मार्ग के प्रवेश व निकासी पर सड़क यातायात की विजिबिलिटी होनी चाहिए व कोई अन्य अवरोध न हो।
7. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन होगी ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
8. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये।
9. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग पर निर्माण की जाने वाली पुलिया SP-13-1983 के अनुसार निर्मित किया जायेगा।
10. पेट्रोल पम्प अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण पर्यावरण/प्रदूषण व अग्निशामन विभाग के अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
देवरिया

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
देवरिया

जिला मजिस्ट्रेट
देवरिया

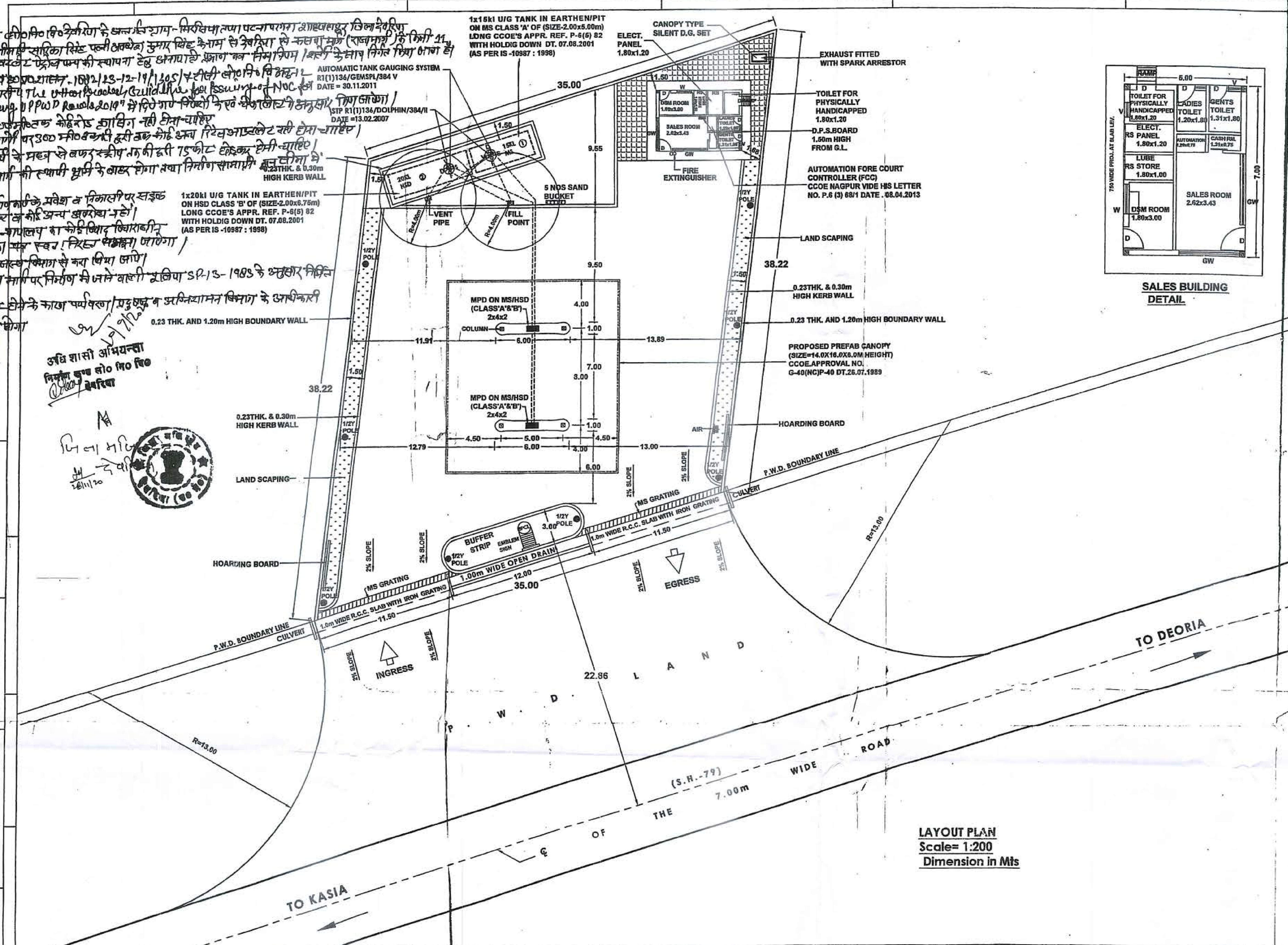

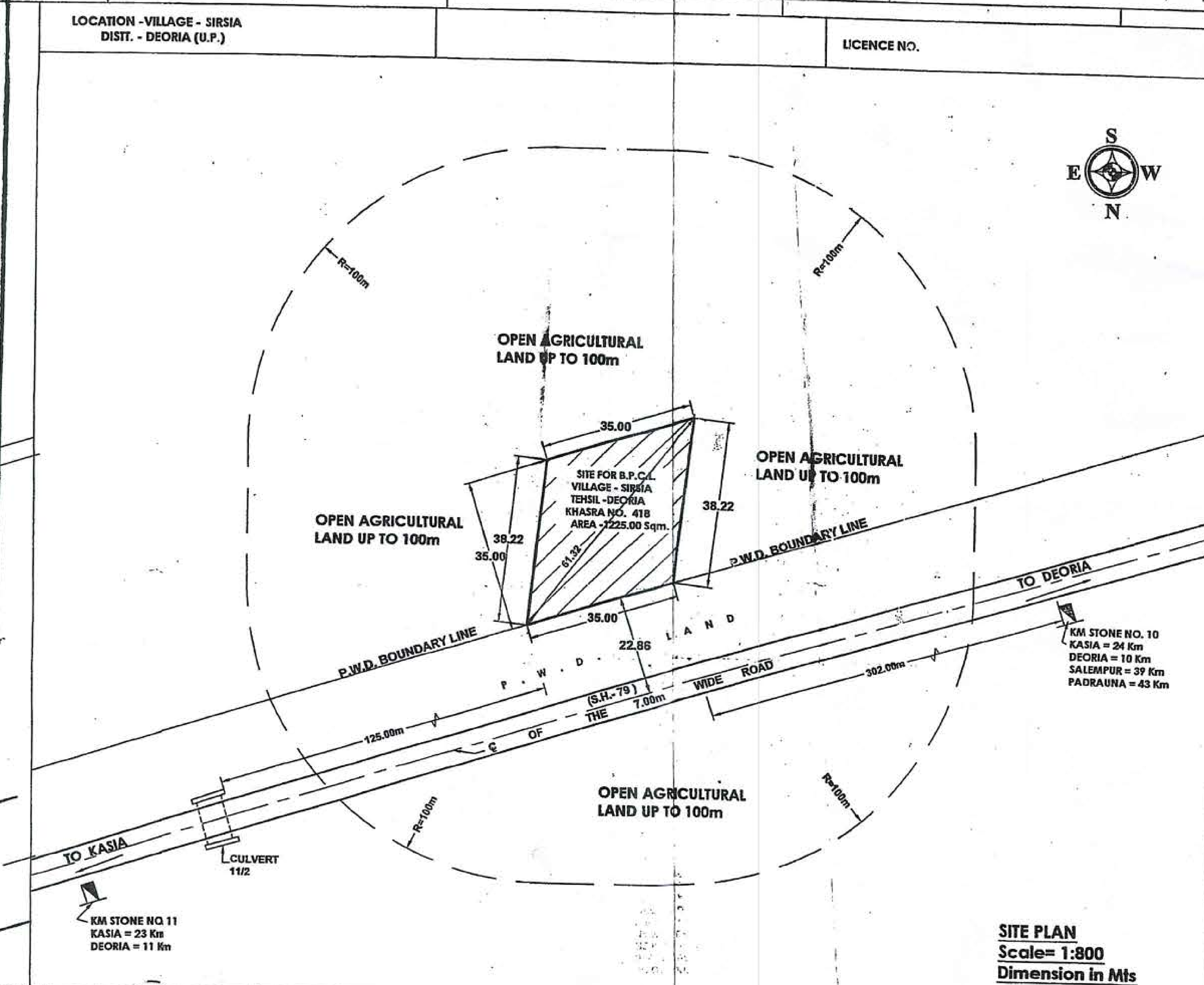

SITE PLAN
Scale= 1:800
Dimension in Mts

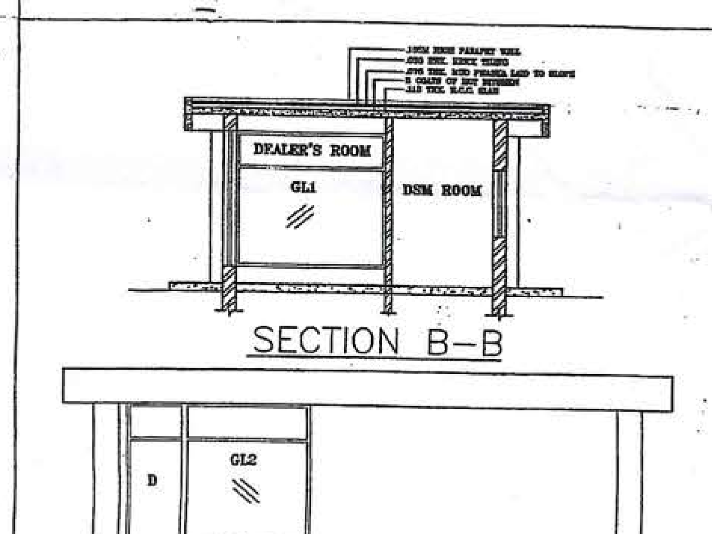

SECTION B–B

ELEVATION A

NOTES :-

1. V = VENT PIPES 4M HIGH AND END COVERED WITH 2 LAYERS OF BRASS WIRE GAUGE 11 MESH PER LINEAR CENTIMETER.
2. F = FILL POINTS FITTED WITH CAM LOCK COUPLING AND AIR TIGHT THREADED BRASS CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY.
3. D = DIP PIPES WITH CAP ASSEMBLY.
4. ALL ELECTRICAL FITTINGS ARE FLAME PROOF CONFORMING TO IS :2148
5. ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY.
6. NO SEWER OR SURFACE DRAIN WITHIN 6M OF THE U/G TANK & D/U.
7. PREMISES TO BE USED FOR ONLY STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS.
8. TANKS ARE PAINTED WITH TWO LAYERS OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED LEAD PRIMER TO PROTECT AGAINST CORROSION.
9. FABRICATION DESIGN OF UNDER GROUND STORAGE TANK ARE CONFORMING TO I.S.: 10987 : 1998 AS PER C.C.O.E. NAGPUR ORDER NO. G-40 (SC) P/MISC 94 DATED-24.02.99.
10. ALL DIMENSIONS ARE IN MTR. UNLESS OTHERWISE NOTED.
11. S.B. SAND BUCKET 10 NO'S OR AS PER EXPLOSIVE RULES.
12. F.E. FIRE EXTINGUISHER. 10 NO'S OR AS PER EXPLOSIVE RULES.
13. TANK SHOULD BE GIVEN HYDRAULIC PRESSURE TEST PRIOR TO INSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING AS APPLIED. THE TEST SHOULD BE MAINTAINED AT A CONTROLLED PRESSURE OF 0.36KG/SQ.CM. FOR 2 HOURS.
14. DIP ROD SUPPLIED WITH THE TANK FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280 LONG INSTEAD OF STANDARD 2350MM.
15. FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATES AND END PLATE OF TANKS:
    20KL.SHELL-6MM
    END - 8MM
16. TANKS CONFORMS TO 124.125 & 131 OF THE PETROLEUM RULE-2002
17. ALL LIGHT POLES AER FITTED AS PER APPROVAL OF CCE NAGPUR VIDE LETTER NO. PL-III(MBI) DATED:26.11.1963.
18. NATURAL DOWN SLOPE FROM THE EDGE OF METALLED ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN
19. SITE MEETS APPLICABLE IRC.1983 NORMS WITH LATEST AMENDMENTS.
20. EV - EXTENDED VENT POINT
    E = EXTENDED FILL POINTS.
21. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO CASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.
22. NO ELECTRICAL LINE PASSES OVER THE R/O PREMISES .
23. PROPOSED AND EXISTING WORK SHOWN IN SPECIFIC COLOUR
24. HOARDING BOARD WILL BE NOT USED FLEX MATERIAL

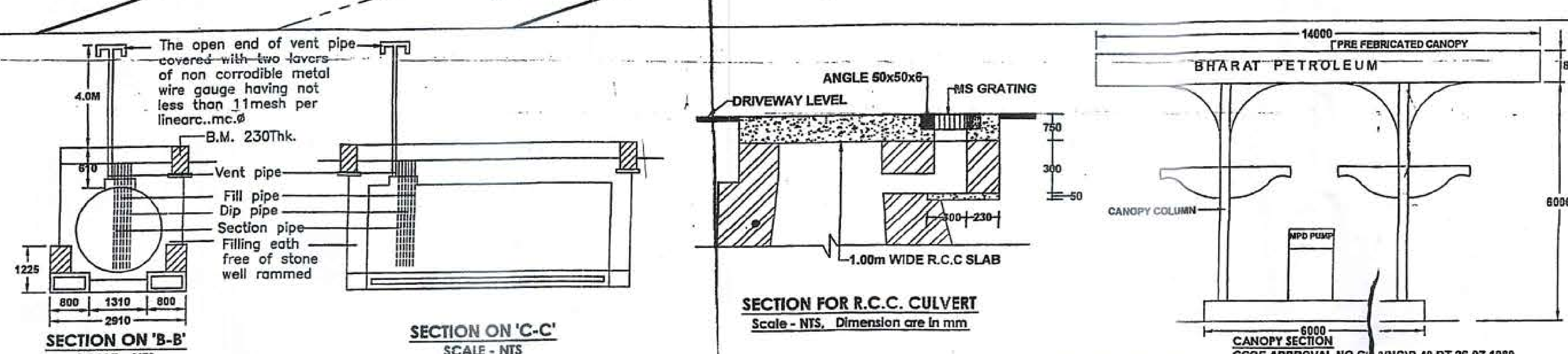

DETAIL OF DISPENSER	
Sr.No.	TYPE OF DISPENSER
1	1 MPD MS/HSD
2	1 MPD MS/HSD

DETAIL OF TANKS

Sr.No.	PRODUCT	CAPACITY	DIA Ø	LENGTH	TYPE OF TANKS
1	MS	15KL	2.00Ø	5.00M	E-PIT
2	HSD	20KL	2.00Ø	6.75M	E-PIT

SITE INFORMATION

PLOT AREA	1225.00 Sqmt.
KHASRA NO.	418
LOCATION	VILL.- SIRSIA
PARGANA	SHAHJHANPUR
TEHSIL	DEORIA
POST OFFICE	RAMPUR KARKHANA
POLICE STATION	RAMPUR KARKHANA
RAILWAY STATION	DEORIA SADAR
DISTRICT	DEORIA
STATE	UTTAR PRADESH
PIN CODE	274 405
NEAR KM STONE NO.	10
ROAD NAME	S.H.- 79

REVISION DRG. NO.	DATE	ZONE OR PART	BRIEF RECORD	INITIALS

REVISIONS

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
(MARKETING - DIVISION)

Subject-: Layout Plan of a Retail Outlet

On Deoria - Kasia Road ,At -Village - Sirsia, Tehsil -Deoria , District - Deoria, Near Km. Stone No.10 (S.H.- 79)(Chainage - 10 + 302.00)

Distt.- Deoria (U.P.) | At.- Village - Sirsia

DATE– 14.01.2020 | CHIEF ENGINEER | DIV./MANAGER
SCALE 1 : 200
DRAWN Arvind Kumar | TRACED | CHECKED

14.01.20 | BPCL/D10/2020
DATE | DRAWING NO.

NUMBERS CROSSED OUT ARE SUPERSEDED DRAWING NO.

BPCL/D10/2020
DRAWING NO.

Vikas Kumar Srivastava
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
10/2/21
Constituted Attorney